(45)

Annexure - 4

राजस्थान– सरकार

कार्यालय तहसीलदार,आबूरोड

कमांक / राजस्व / 2017 / 1070–74 दिनांकः–15–09–2017

प्रेषिति :–––

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,

सिरोही ।

विषय :––– प्रस्तावित बत्तीसा नाला परियोजना अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवश्यक समतुल्य गैर वन भूमि आरक्षित करने बाबत् ।

प्रसंग :––– आपका पत्रांक / प.12(3)( )राज / 2016 / 3785 दिनांक–15–09–2017।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्र्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ मे निवेदन है कि संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राज.जयपुर के पत्रांक / प.2(164)राज–3 / 2016 दिनांक–08–11–2016 के द्वारा प्राप्त राजकीय स्वीकृति के पालना मे श्रीमान् के आदेश कमांक / प.12(3)( )राज / 2016 / 1062–68 दिनांक–17–03–2017 के द्वारा मौजा–शेरगांव(कुल 287 किता) व उतरज(कुल 2किता) तहसील, आबूरोड , जिला सिरोही के कुल 289 किता के खसरा नम्बरों की कुल 363–14 बीधा (91.99 हैक्टर) भूमि प्रस्तावित बत्तीया नाला परियोजना अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवश्यक समतुल्य गैर वन भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत वन विभाग हेतु आरक्षित (Set apart) की गई है ।

यह कि प्रकरण मे इस कार्यालय के आदेश कमांक / राजस्व / 17 / 604 दिनांक–10–04–17 द्वारा पटवारी–हल्का को राजस्व रेकर्ड मे अमल–दरामद करने के आदेश के पश्चात् पटवारी–हल्का द्वारा पालना मे नियमानुसार वन विभाग हेतु आरक्षित की गई उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज कर लिया गया है । जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्र के सलंग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

तहसीलदार, आबूरोड
जिला–सिरोही

कमांक / सम / 2017 / 1070–74 दिनांकः––15–09–2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ ::–––

1– श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,आबूपर्वत

2– उप वन संरक्षक, सिरोही

3– उप वन संरक्षक (वन्यजीव), आबूपर्वत ।

4– अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही ।

(जे. पी. शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड
सिरोही (राजस्थान)

तहसीलदार, आबूरोड

जिला–सिरोही